

16/5/23

उमम पक्षे वकालन हाजिरी
उमम पक्ष के विडान
आधिवक्ता को सुना तथा
दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन
किया।

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>उपमा पक्ष की भूमि खनिजों से सम्पन्न भूमि है। उपमा पक्ष के परिवार के सदस्य द्वारा भूमि का एक छोटा हिस्सा द्वितीय पक्ष के क्रेता द्वारा जिसके आधार पर द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर दावा कर रहे हैं। साथ ही उपमा पक्ष का कहना है कि प्रशासन भूमि पर कार्मिक स्थल है तथा भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है।</p> <p>बंटवारा सम्बन्धी विवाद का निर्यादन इस वाद में नहीं हो सकता है। अतः इस वाद की कार्यवाही को समाप्त करने हेतु उक्त पक्ष को अव्यक्त न्यायालय में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">16/5/13</p>	